

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275194  
SG-DL-E-04082026-275194असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                 |                            |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 204] | दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948   | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 134 |
| No. 204] | DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948 | [N. C. T. D. No. 134       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमाप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग)  
अधिसूचना

दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

फा. सं. 12(2)/माप एवं तौल/प्रवर्तन/2026/953.— जबकि, दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 का प्रारूप, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खंड (थ) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार दिनांक 08.05.2026 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 12(2)/माप एवं तौल/प्रवर्तन/2026/261-69 द्वारा दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग-IV में तथा दिनांक 14 मई, 2026 को दो हिंदी एवं दो अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था ताकि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/हितधारकों से उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।

और जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना दिनांक 08 मई, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई;

और जबकि, उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अब इसलिए, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की 2 के खंड (थ) के साथ पठित धारा 53, धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-**

- (1) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 कहा जाए।
- (2) ये दिल्ली के शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 11 में संशोधन:-** दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 (तत्पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**(11) माप एवं तौल के निर्माता, मरम्मतकर्ता एवं डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र -**

(1) माप एवं तौल में प्रत्येक निर्माता या मरम्मतकर्ता अथवा डीलर, पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु नियंत्रक अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को अनुसूची II-क में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन करेगा। ऐसा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से पूर्व किसी निरीक्षण के बिना, स्व-घोषणा के आधार पर जारी किया जाएगा।

यह भी उपबंधित है कि किसी निर्माता को अपने द्वारा निर्मित तथा निर्माण राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में उपयोग किए जा रहे किसी माप या तौल की मरम्मत करने हेतु पृथक मरम्मतकर्ता पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु विनिर्माता को संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को मरम्मत के संबंध में पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

आगे यह भी उपबंधित है कि जो व्यक्ति सद्भावपूर्वक अपने स्वामित्व अथवा कब्जे में स्थित किसी माप एवं तौल की मरम्मत करता है, उसे मरम्मतकर्ता का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) विलोप किया गया।

(3) प्रत्येक निर्माता, मरम्मतकर्ता अथवा डीलर को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र अनुसूची III में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में होगा।

(4) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्माता, मरम्मतकर्ता अथवा डीलर को अनुसूची IV में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

(5) पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन अथवा उसकी डुप्लीकेट प्रति जारी करने हेतु देय शुल्क अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(6) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी विनिर्माता, मरम्मतकर्ता एवं डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का रजिस्टर अनुसूची V में निर्दिष्ट प्रपत्र में संधारित करेगा।

(7) अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन पंजीकृत प्रत्येक विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/डीलर, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण प्रमाण-पत्र की नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्यशाला, उपकरण, औजार, रजिस्टर आदि संधारित करेगा।

- (8) अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन पंजीकृत प्रत्येक मरम्मतकर्ता अनुसूची VI में निर्दिष्ट के अनुसार प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए सरकार के पास प्रतिभूति जमा करेगा।
- (9) अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन जारी प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र को उस परिसर में, जहां पंजीकृत निर्माता, मरम्मतकर्ता तथा डीलर अपना व्यवसाय संचालित करता है, किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (10) अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र विक्रेय, हस्तांतरणीय अथवा उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य नहीं होगा।
3. **नियम 12 में संशोधन:**— उक्त नियमों में नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

### (12) पंजीकरण प्रमाण-पत्र का निलंबन एवं निरस्तीकरण—

(1) यदि नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन प्रदत्त किसी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के धारक ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र के जारी करने अथवा उसके निरंतर प्रभावी रहने के लिए किए गए आवेदन में अथवा उससे संबंधित किसी कथन में कोई तथ्यात्मक रूप से मिथ्या अथवा अशुद्ध विवरण दिया है अथवा अधिनियम या नियमों अथवा उनके अधीन बनाए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र के धारक के विरुद्ध जांच पूर्ण होने तक ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकेगा।

यह भी उपबंधित है कि ऐसा कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

आगे यह भी उपबंधित है कि यदि इस उप-नियम के अधीन जांच निलंबन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, तो उक्त अवधि समाप्त होने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र का निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(2) यदि नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी जांच करने के उपरांत यह संतुष्ट हो जाए कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक ने उपनियम (1) में संदर्भित प्रकृति का मिथ्या अथवा अशुद्ध कथन किया है अथवा उस नियम में संदर्भित किसी कानून या आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकेगा।

यह भी उपबंधित है कि ऐसा कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित किया गया है, वह निलंबन के तत्काल पश्चात् पंजीकृत मरम्मतकर्ता के रूप में कार्य करना बंद कर देगा तथा निलंबन आदेश निरस्त अथवा स्वतः समाप्त होने तक ऐसे पंजीकृत मरम्मतकर्ता के रूप में व्यवसाय पुनः प्रारंभ नहीं करेगा।

(4) प्रत्येक पंजीकृत मरम्मतकर्ता जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित अथवा निरस्त किया गया है, वह निलंबन या निरस्तीकरण के पश्चात् ऐसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल समर्पित करेगा।

(5) प्रत्येक पंजीकृत मरम्मतकर्ता जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया है, वह निरस्तीकरण की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अथवा नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा

पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर अधिकतम तीन माह की अतिरिक्त अवधि के भीतर ऐसे निरस्तीकरण की तिथि से अपने कब्जे, अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में स्थित सभी माप एवं तौल का निपटान करेगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अधिकारी उन्हें जब्त कर उनका निपटान करेगा तथा प्राप्त धनराशि का वितरण विहित रीति से करेगा।

4. **नियम 13 में संशोधन:**— नियम 13 में "अधिनियम एवं इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंसधारी" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम एवं इन नियमों के अधीन पंजीकृत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. **आनुषंगिक संशोधन:**— समस्त नियमों तथा उनसे संलग्न अनुसूचियों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "लाइसेंस", "लाइसेंसड", "लाइसेंसी", "लाइसेंसड", "लाइसेंसिंग" तथा "लाइसेंस का नवीनीकरण" शब्दों को जहां भी वे आते हैं, को क्रमशः "पंजीकरण प्रमाण-पत्र", "पंजीकृत", "पंजीकरणकर्ता", "पंजीकृत", "पंजीकरण" तथा "पंजीकरण प्रमाण-पत्र की निरंतरता" के रूप में पढ़ा और प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. **अनुसूचियों में संशोधन:**— नियमों से संलग्न अनुसूचियों में—

- (1) अनुसूची II—क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"अनुसूची II—क (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"
- (2) अनुसूची II—ख को विलोप किया जाएगा;
- (3) अनुसूची III के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:  
"अनुसूची III (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"
- (4) अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"अनुसूची IV (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"
- (5) अनुसूची V के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"अनुसूची V (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"
- (6) अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"अनुसूची VI (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"
- (7) अनुसूची VII के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"अनुसूची VII (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"

7. इन नियमों द्वारा यथा संशोधित उक्त नियमों में किसी बात के निहित होते हुए, इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जारी किया गया कोई भी लाइसेंस उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक वैध बना रहेगा तथा उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ उसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र माना जाएगा। ऐसी अवधि समाप्त होने पर धारक इन नियमों द्वारा यथासंशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

पंकज कुमार, भा.प्र.से., नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान,

पाद टीप: दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 दिनांक 31.03.2011 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा इनमें अंतिम संशोधन दिनांक 28.01.2026 की अधिसूचना संख्या 25 (एन.सी.टी.डी. सं. 434) द्वारा किया गया।

**अनुसूची-II (क)**  
(नियम 11 (1) देखिये)

प्रपत्र-एलएम-1

**(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन माप एवं तौल के विनिर्माता के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र)**

सेवा में,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

आवेदक द्वारा भरा जाना है

| (1)                                                                                                                                                 | (2)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. संबंधित विनिर्माता का नाम जिसके लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र वांछित है                                                                               | _____ |
| 2. संबंधित का पूरा पता। यदि परिसर स्वामित्व में/किराये पर/पट्टे पर/छूट लाइसेंस पर लिया गया है तो दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित संलग्न करें।      | _____ |
| 3. कर्मशाला/कारखाना के स्थापना की तिथि                                                                                                              | _____ |
| 4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का नाम एवं पता उनके पिता/पति के नाम के सहित, लिमिटेड कम्पनी के मामले में | _____ |
| 5. कारखाने/दुकान/प्रतिष्ठान/नगरपालिका व्यवसाय लाइसेंस की वर्तमान पंजीकरण संख्या एवं तिथि                                                            | _____ |
| 6. वर्तमान में विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति                                                                                                    | _____ |
| 7. विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित माप एवं तौल का प्रकार, अर्थात्                                                                              | _____ |
| (i) तौल                                                                                                                                             |       |
| (ii) माप                                                                                                                                            |       |
| (iii) तौल के उपकरण                                                                                                                                  |       |
| (iv) प्रत्येक मामले में माप के उपकरण सहित विवरण                                                                                                     |       |
| 8. नियोजित/नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या                                                                                           | _____ |
| (i) कुशल                                                                                                                                            |       |
| (ii) अर्ध कुशल                                                                                                                                      |       |
| (iii) अकुशल                                                                                                                                         |       |
| (iv) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ                                                                                                    |       |
| 9. विनिर्मित किये जाने वाले माप और तौल पर मोहर लगाए जाने के लिए आशायित मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह                                                   | _____ |
| 10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उपसाधन जो माप, तौल आदि के विनिर्माण के लिये उपयोग में लाये जाते हैं, का विवरण                                       | _____ |
| 11. संधानशाला/कर्मशाला में सुविधाओं की व्यवस्थाओं का विवरण। स्वामित्व में या दीर्घकालिक पट्टे पर है, आदि                                            | _____ |
| 12. महत्वपूर्ण उपांगों आदि की इस्पात ढलाई और कठोरता परीक्षण के लिए सुविधाएं या अन्य संसाधन—                                                         | _____ |
| 13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता—                                                                                                                      | _____ |
| 14. सरकार या वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का ब्योरा।                                                                                              | _____ |

यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए —

15. बैंकरों का नाम, यदि कोई हो —
16. जीएसटी संख्या/पेशेवर कर पंजीकरण संख्या/आईटी संख्या
17. क्या आपने पहले भी विनिर्माता पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिये आवेदन किया है ? यदि हाँ, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे?
18. (क) क्या विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित मद (मदों) को राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर अथवा दोनों जगह विक्रय किया जायेगा?  
(ख) भारत सरकार से प्राप्त नमूना अनुमोदन के विवरण।

### आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है/हैं और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र निर्धारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति की तिथि :

आवेदन की क्रम संख्या :

टिप्पणियाँ :

स्थान.....

दिनांक.....

एलएमओ/जैडओ के हस्ताक्षर और पदनाम

### पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची-II-क****[ नियम 11 (1) देखिये ]****प्रपत्र-एलआर-1****(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन माप एवं तौल के मरम्मतकर्ताओं के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)**

सेवामें,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

आवेदक द्वारा भरा जाना है

| (1)                                                                                                                                                    | (2)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहने वाले संबंधित का नाम                                                                                                       | _____ |
| 2. कर्मशाला का पूरा पता                                                                                                                                | _____ |
| 3. संबंधित का पूरा पता। यदि परिसर स्वामित्व में/किराये पर/पट्टे पर लिया गया है तो दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित संलग्न करें।<br>(ख) स्थापना की तिथि | _____ |
| 4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का नाम एवं पता उनके पिता/पति के नाम के सहित, लिमिटेड कम्पनी के मामले में    | _____ |
| 5. दुकान/प्रतिष्ठान/चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और दिनांक                                                                                 | _____ |
| 6. जीएसटी/व्यावसायीकर/आईटी कर पंजीकरण संख्या आदि, यदि कोई है                                                                                           | _____ |
| 7. मरम्मत किये जाने वाले प्रस्तावित माप एवं तौल का प्रकार                                                                                              | _____ |
| 8. क्षेत्र जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं                                                                                                              | _____ |
| 9. इस कार्य क्षेत्र में अपना पूर्व अनुभव बतायें                                                                                                        | _____ |
| 10. नियोजित कुशल स्टाफ या नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या                                                                               | _____ |
| (i) कुशल                                                                                                                                               | _____ |
| (ii) अर्ध कुशल                                                                                                                                         | _____ |
| (iii) अकुशल                                                                                                                                            | _____ |
| (iv) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी                                                                                                       | _____ |
| 11. उपलब्ध मशीनरी/औजारों/उपसाधनों का विवरण                                                                                                             | _____ |
| 12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता है ?                                                                                                                     | _____ |
| 13. क्या आपके पास उधार/परीक्षण तौल आदि का पर्याप्त स्टॉक है ? कृपया उसका विवरण दीजिये                                                                  | _____ |
| 14. क्या आपने इसके पूर्व मरम्मतकर्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो कब और उस आवेदन का क्या हुआ?                                 | _____ |

**आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र निर्धारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए**

आवेदन प्राप्ति की तिथि :

आवेदन की क्रम संख्या :

टिप्पणियां :

स्थान.....

दिनांक.....

एलएमओ/जैडओ के हस्ताक्षर और पदनाम

**पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राधिकारी का अन्तिम आदेश**

पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची-II-क**

[ नियम 11 (1) देखिये ]

**प्रपत्र-एलडी-1**

**(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन माप एवं तौल के डीलरों के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)**

सेवामें,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

आवेदक द्वारा भरा जाना है

(1)

(2)

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहने वाले प्रतिष्ठान/दुकान/व्यक्ति का नाम

\_\_\_\_\_



2. प्रतिष्ठान आदि का पूरा पता \_\_\_\_\_
3. स्थापना की तिथि \_\_\_\_\_
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और प्रबन्ध निदेशक  
(निदेशकों) का नाम एवं पता, लिमिटेड कम्पनी के मामले में \_\_\_\_\_
5. दुकान/प्रतिष्ठान/चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की  
संख्या और दिनांक \_\_\_\_\_
6. विक्रय के लिये वर्तमान में प्रस्तावित माप एवं तौल का प्रवर्ग— \_\_\_\_\_
7. जी0एस0टी0/व्यवसाय कर/आय कर/बिक्री कर  
पंजीकरण की संख्या— \_\_\_\_\_
8. क्या आप तौल आदि का राज्य/देश से बाहर के स्थानों से आयात  
करना चाहते हैं ? यदि हां, तो उनकी आपूर्ति का स्रोत बताइए।  
(विनिर्माता के व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम के ब्योरे और उसका पंजीकरण प्रमाण  
पत्र संख्या दीजिए) और उपलब्ध कराए— \_\_\_\_\_
- (क) माल एवं तौल के आयातकर्ता का पंजीकरण संख्या, यदि कोई है;
- (ख) भारत में आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार का  
नमूना अनुमोदन \_\_\_\_\_
9. क्या आपने कभी इस राज्य में या अन्यत्र डीलर के पंजीकरण प्रमाण पत्र के  
लिए पहले भी आवेदन किया है ? यदि हां तो उसका विवरण दीजिए। \_\_\_\_\_

### आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र निर्धारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति की तिथि :

आवेदन की क्रम संख्या :

टिप्पणियां :

स्थान.....

दिनांक.....

एलएमओ/जैडओ के हस्ताक्षर और पदनाम

**पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राधिकारी का अन्तिम आदेश**

पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

**अनुसूची-III**

(नियम 11 (3) देखिये)

**पंजीकरण प्रमाण पत्र देने का प्रपत्र**

**प्रपत्र- एलएम-3**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

**विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय**

**(तौल, माप, तौल या माप के उपकरणों के विनिर्माण के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र)**

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या .....

वर्ष .....

1. विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक एतद्वारा ----- को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित के विनिर्माण के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत करते हैं:-

----- (यहाँ उन तौल, माप, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों का विवरण दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा विनिर्मित किये जाने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है।)

2. यह पंजीकरण प्रमाण पत्र ऊपर नामित पक्षकार के लिए----- में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. विनिर्माता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकेगा।

4. विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम निम्नलिखित रूप में है।

(हस्ताक्षर)

**नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

(मोहर)

स्थान.....

दिनांक.....

**टिप्पणी** — फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैराग्राफ-1 में दिये जाने चाहिए।

**पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें**

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है—
  - (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
  - (ख) अधिनियम या समय-समय पर संशोधित नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा।
  - (ग) इस पंजीकरण प्रमाण पत्र को उस परिसर के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।
  - (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाए।
  - (ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति में और/या पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण पर पंजीकरण प्रमाण पत्र का समर्पण करेगा।
  - (च) राज्य के भीतर निर्मित और उपयोग के लिए अभिप्रेत माप, तौल, माप या तौल के उपकरण जैसा भी मामला हो, बिक्री से पहले सत्यापन और मोहर लगाने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करें।
2. इस पंजीकरण प्रमाण पत्र के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

**अनुसूची-III****(नियम 11 (3) देखिये)****पंजीकरण प्रमाण पत्र देने का प्रपत्र****प्रपत्र-एलआर-3****राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार****विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय****( तौल, माप, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की मरम्मत के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र)**

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या .....

वर्ष .....

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा \_\_\_\_\_ को (पक्षकार या पक्षकारों के नाम ओर पते) निम्नलिखित की मरम्मत के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत करते हैं:—

\_\_\_\_\_ (यहाँ उन तौल, माप, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों का विवरण दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा विनिर्मित किये जाने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है।)

2. यह पंजीकरण प्रमाण पत्र ऊपर नामित पक्षकार के लिए \_\_\_\_\_ में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।
3. मरम्मतकर्ता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकेगा।
4. यह पक्ष निम्न उल्लिखित क्षेत्रों में तौल, माप, माप एवं तौल वाले उपकरणों की मरम्मत करने के लिए पंजीकृत है।

(हस्ताक्षर)

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(मोहर)

स्थान.....

दिनांक.....

**टिप्पणी** — फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैराग्राफ—1 में दिये जाने चाहिए।

### पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है—
  - (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
  - (ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा।
  - (ग) इस पंजीकरण प्रमाण पत्र को उस परिसर के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।
  - (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाए।
  - (ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति में और/या पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण पर पंजीकरण प्रमाण पत्र का समर्पण करेगा।
  - (च) (i) सम्यक् रूप से मरम्मत किये गये यथास्थिति तौल, माप, माप एवं तौल के उपकरणों को उपयोगकर्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14 (1) में विनिर्दिष्ट सत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।  
(ii) तौल, माप, तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्य होने की तिथि से पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहाँ इस प्रक्रिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प मिट जाती है, अलग हो जाती है या टूट जाती है, उसे उपयोगकर्ता को परिदत्त करने से पूर्व मरम्मत करते हुए पुनःसत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
2. इस पंजीकरण प्रमाण पत्र के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

**अनुसूची-III**  
**(नियम 11 (3) देखिये)**  
**पंजीकरण प्रमाण पत्र देने का प्रपत्र**  
**प्रपत्र-एलडी-3**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
 विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय  
 ( तौल, माप, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के लिए डीलरों हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र)

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या .....

वर्ष .....

1. विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक एतद्वारा ----- को  
 (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित की डील के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत करते हैं:-

----- (यहाँ  
 उन तौल, माप, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों का विवरण दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा डील किये जाने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है।)

2. यह पंजीकरण प्रमाण पत्र ऊपर नामित पक्षकार के लिए-----  
 में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. डीलर नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकेगा।

(हस्ताक्षर)  
 नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान  
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(मोहर)

स्थान.....

दिनांक.....

**टिप्पणी** — फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैराग्राफ-1 में दिये जाने चाहिए।

**पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें**

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है—
- (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
- (ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा।

- (ग) इस पंजीकरण प्रमाण पत्र को उस परिसर के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।
- (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाए।
- (ङ) व्यवसाय के बन्द होने की स्थिति में और/या पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण पर पंजीकरण प्रमाण पत्र का समर्पण करेगा।
- (च) किसी भी गैर मानक तौल या माप को बेचने, पेश करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए नहीं रखेगा।
2. इस पंजीकरण प्रमाण पत्र के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

**अनुसूची-IV**  
(नियम 11 (4) और (5) देखिये)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

( माप एवं तौल के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं या डीलरों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र भुल्क)

(1) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने:-

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (i) विनिर्माता                                                      | 5000 /- रुपये (पांच हजार रुपये) |
| (ii) मरम्मतकर्ता                                                    | 2000 /- रुपये (दो हजार रुपये)   |
| (iii) डीलर                                                          | 2000 /- रुपये (दो हजार रुपये)   |
| (2) पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन                                  | 1000 /- रुपये (एक हजार रुपये)   |
| (3) पंजीकरण प्रमाण पत्र की (डुप्लीकेट) द्वितीय प्रति जारी करने हेतु | 500 /- रुपये (पांच सौ रुपये)    |

**अनुसूची-V**  
(नियम 11 (6) देखिये)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

तौल, माप, माप एवं तौल के उपकरणों के पंजीकृत विनिर्माताओं/मरम्मतकर्ताओं/डीलरों का रजिस्टर

कार्यालय

| पंजीकरण प्रमाण | जारी करने | विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/डीलर का नाम और पूरा पता | कर्मशाला/काराखाना का स्थान | विनिर्मित/मरम्मत की गई/बेची जाने वाली वस्तुएं | प्रयुक्त चिन्ह/मोनोग्राम | पंजीकरण प्रमाण पत्र के | अपील का परिणाम | सक्षम प्राधिकारी | अभ्युक्ति |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
|----------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|

| पत्र संख्या | की तिथि |   | जहां स्थित है |   |   | निरस्तीकरण से संबंधित आदेश |   | के हस्ताक्षर |    |
|-------------|---------|---|---------------|---|---|----------------------------|---|--------------|----|
| 1           | 2       | 3 | 4             | 5 | 6 | 7                          | 8 | 9            | 10 |

**टिप्पणी**— कॉलम (4) डीलरों पर लागू नहीं होता है। कॉलम (6) मरम्मतकर्ताओं और डीलरों पर लागू नहीं होता है।

### अनुसूची—VI

(नियम 11 (8) देखें)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

पंजीकृत मरम्मतकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि :—

माप एवं तौल जिनके अन्तर्गत माप एवं तौल के उपकरण भी हैं,  
के मरम्मतकर्ता —————

5000 /—रुपये (पांच हजार रुपये)

### अनुसूची—VII

(नियम 3 देखें)

( माप एवं तौल के विनिर्माताओं द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर)

- विनिर्माता का नाम और पता \_\_\_\_\_
- माप एवं तौल का वर्णन \_\_\_\_\_
- (i) विनिर्माता पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या \_\_\_\_\_  
(ii) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि \_\_\_\_\_

4. पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलम्बित या प्रतिसंहरित करने वाले आदेश का विवरण, यदि कोई हो :—————

| क्रम संख्या | माह | पूर्व माह का अविक्रित स्टॉक | माह के दौरान विनिर्मित परिमाण | कुल (3+4) | राज्य के भीतर विक्रय किया गया |                                    | राज्य के बाहर विक्रय किया गया |                        |
|-------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|             |     |                             |                               |           | विक्रीत मदों की संख्या        | सम्प्रेषण बाउचर की संख्या व दिनांक | राज्य का नाम                  | विक्रीत मदों की संख्या |
| 1           | 2   | 3                           | 4                             | 5         | 6                             | 7                                  | 8                             | 9                      |
|             |     |                             |                               |           |                               |                                    |                               |                        |

| सम्प्रेषण बाउचर की संख्या व दिनांक | कुल विक्रय (6+9) | अतिशेष (5-11) | अभ्युक्ति |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 10                                 | 11               | 12            | 13        |
|                                    |                  |               |           |

**अनुसूची-VII**  
(नियम 13 देखिये)  
प्रपत्र-एलआर-4

( माप एवं तौल के सम्बन्ध में मरम्मतकर्ता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर)

मरम्मतकर्ता का नाम और पता.....  
पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....  
पंजीकरण प्रमाण पत्र की तिथि.....

| क्र० सं० | तिथि | उपभोक्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ है | मरम्मत के लिए बुक की गई मदें और उनकी संख्याएं | उपभोक्ता को दी गयी रसीद संख्या और दिनांक |
|----------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2    | 3                                    | 4                                             | 5                                        |
|          |      |                                      |                                               |                                          |



| मरम्मत प्रभार की धनराशि | सत्यापन फीस की धनराशि | प्रभारित कुल धनराशि | उपयोगकर्ता को वापस करने की तिथि | अभ्युक्ति |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 6                       | 7                     | 8                   | 9                               | 10        |
|                         |                       |                     |                                 |           |

**अनुसूची-VII**  
(नियम 13 देखिये)

**प्रपत्र-एलडी-4**

( माप एवं तौल के सम्बन्ध में डीलर द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर)

1. डीलर का नाम और पता -----
2. माप एवं तौल का वर्णन-----
3. (i) डीलर की पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या -----  
(ii) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि -----
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलम्बन या प्रतिसंहरण करने वाले आदेश का विवरण, यदि कोई हो -----
5. माप एवं तौल का प्रवर्ग (क या ख) -----

| क्र० सं० | माह | पूर्व माह का अविक्रित स्टॉक | माह के दौरान राज्य के भीतर से लाया गया | माह के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया | योग (3+4+5) | राज्य के भीतर विक्रय किया गया |                                     |
|----------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|          |     |                             |                                        |                                        |             | विक्रीत मर्दों की संख्या      | सम्प्रेषण बाउचर की संख्या और दिनांक |
| 1        | 2   | 3                           | 4                                      | 5                                      | 6           | 7                             | 8                                   |

| राज्य के बाहर विक्रय किया गया |                                     |              | कुल विक्रय | अतिशेष | अभ्युक्ति |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| विक्रीत मर्दों की संख्या      | सम्प्रेषण बाउचर की संख्या और दिनांक | राज्य का नाम |            |        |           |
| 9                             | 10                                  | 11           | (7+9)      | (6-12) |           |
| 9                             | 10                                  | 11           | 12         | 13     | 14        |

**WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT (DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)****NOTIFICATION**

Delhi, the 28th July, 2026

**F.No.12(2)/W&M/Enforcement/2026/953.**— Whereas the draft of the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2026, was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, vide No. F. 12(2)/ W&M / Enforcement/2026/261-69 dated 08.05.2026 and in the 02 Hindi & 02 English Daily Newspapers on the 14<sup>th</sup> May 2026, as required under sub-section (4) of Section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act 2009, for inviting objections or suggestions from the persons/stakeholders likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, the said draft notification was made available to the public on 08<sup>th</sup> May 2026;

And whereas, no objection/suggestion received in the said period with regard to the said draft notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 53 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act 2009, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Central Government, is pleased to make the following rules, namely;

**1. Short title and commencement:-**

- (1) These rules may be called the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.

**2. Amendment of Rule 11:-** In the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

**(11) Registration Certificate of manufacturer, repairer and dealer of weights and measures—**

(1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in, weight or measure shall make an application for the issue of a registration certificate to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in **Schedule II-A**. Such Registration Certificate shall be issued on self-declaration basis without any inspection prior to issue of the registration certificate.

Provided that no registration certificate to repair shall be required by a manufacturer to repair any weight or measure manufactured by him and used in a State other than the State of manufacture of the same, but the manufacturer has to inform in advance the concerned legal metrology officer about the repairing:

Provided further that a person who bonafide repairs any weight or measure owned or possessed by him shall not require a repairer's registration certificate.

(2) Omitted.

(3) Every registration certificate issued to a manufacturer, repairer or dealer shall be in the appropriate form set out in **Schedule III**.

(4) Every registration certificate issued to a manufacturer, repairer, or dealer by the Controller or any officer authorised by him in this behalf, on payment of the fee specified in **Schedule IV**, shall remain valid unless it is suspended or cancelled by the Controller or any officer authorised by him in this behalf.

(5) The fee payable for the alteration of a registration certificate or for the issue of a duplicate registration certificate shall be as specified in **Schedule IV**.

(6) The Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf shall maintain a register of registration certificate of manufacturers, dealers and repairers in the form set out in **Schedule V**.

(7) Every manufacturer/repairer/dealer, registered under the Act and these rules shall maintain such workshop/equipments/tools/registers, etc. as the case may be, as per the terms and conditions of the registration certificate.

(8) Every repairer registered under the Act and these rules shall furnish a security deposit for each registration certificate to the Government as specified in **schedule-VI**.

(9) Every registration certificate issued under the Act and these rules shall be displayed in a conspicuous place in the premises where the manufacturer, repairer and dealer registered carries on business.

(10) A registration certificate issued under the Act and these rules shall not be saleable, transferable or inheritable.

3. **Amendment of Rule 12:-** In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:—

**(12) Suspension and Cancellation of Registration Certificate –**

(1) The Controller or such other officer authorized by him on his behalf may, if he has any reasonable cause to believe that the holder of any registration certificate granted under the Act and these rules has made any statement in, or in relation to, any application for the issue, or continuance of the registration certificate, which is incorrect or false in any material particular or has contravened any provision of the Act or any rule or order made thereunder, suspend such registration certificate, pending the completion of any inquiry against the holder of such registration certificate:

Provided that no such registration certificate shall be suspended unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action:

Provided further that where the inquiry referred to in this sub-rule section is not completed within a period of three months from the date of suspension of a registration certificate, such suspension shall, on the expiry of the period aforesaid, stand vacated.

(2) The Controller or such other officer authorized by him on his behalf may, if he is satisfied, after making such inquiry as he may think fit, that the holder of a registration certificate has made a false or incorrect statement of the nature referred to in sub- rule (1), or has contravened any law or order referred to in that sub-rule, cancel such registration certificate:

Provided that no such registration certificate shall be cancelled unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(3) Every person whose registration certificate has been suspended shall, immediately after such suspension, stop functioning as such registered repairer and shall not resume business as such registered repairer until the order of such suspension has been, or stands, vacated.

(4) Every registered repairer whose registration certificate has been suspended or cancelled shall, after such suspension or cancellation, as the case may be, surrender such registration certificate to the authority by which such registration certificate was issued.

(5) Every registered repairer whose registration certificate has been cancelled shall, within a period of thirty days from the date of such cancellation, or within such further period, not exceeding three months from such date, as the Controller or such other officer authorized by him on his behalf may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the weights or measures which were in his possession, custody or control on the date of such cancellation and in the event of his failure to do so, the Controller or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf, may seize and dispose of the same and distribute the proceeds thereof in such manner as may be prescribed.

4. **Amendment of Rule 13 -** In Rule 13, for the words “**licensed under the Act and these rules**”, the words “**registered under the Act and these rules**” shall be substituted.

5. **Consequential Amendments -** Throughout the rules and the Schedules appended thereto, unless the context otherwise requires, the words “**licence**”, “**licensed**”, “**licensee**”, “**licenced**”, “**licensing**” and “**renewal of licence**” shall respectively be construed as and substituted by “**Registration Certificate**”, “**registered**”, “**registrant**”, “**registered**”, “**registration**” and “**continuance of Registration Certificate**”, wherever they occur.

6. **Amendment of Schedules.** In the Schedule appended to the rules—

(1) for Schedule II-A, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule II-A (as appended to these rules)”;

(2) Schedule II-B shall be omitted;

(3) for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule III (as appended to these rules)”;

(4) for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule IV (as appended to these rules)”;

(5) for Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule V (as appended to these rules)”;

(6) for Schedule VI, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule VI (as appended to these rules)”;

(7) for Schedule VII, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule VII (as appended to these rules)”.

7. Notwithstanding anything contained in the said rules as amended by these rules, any licence issued prior to the commencement of these rules shall continue to remain valid till the expiry of the period specified therein and shall be deemed to be a registration certificate for the purpose of said rules, upon expiry of such period, the holder shall obtain Registration Certificate in accordance with the provisions of the said rules as amended by these rules.

By order and in the name of the  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

PANKAJ KUMAR, IAS, Controller, Legal Metrology

**FOOT NOTE: Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011 were published in Delhi Gazette on 31.03.2011 and last amended vide notification no. 25 (N.C.T.D.No. 434) dated 28.01.2026.**

#### SCHEDULE – II–A

[See rule 11 (1)]

Form – LM – 1

[Application form for Registration Certificate as Manufacturer of weights & measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

| To be filled by the Applicant                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (1)                                                                                                                                                              | (2)   |
| 1. Name of the manufacturing concern for which Registration Certificate is desired.                                                                              | ..... |
| 2. Complete address of the concern. Whether premises are owned/rented/taken on lease/leave licence, duly supported by documents.                                 | ..... |
| 3. Date of Establishment of workshop/factory.                                                                                                                    | ..... |
| 4. Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company | ..... |
| 5. The date and current registration number of factory/ shop/ establishment/ Municipal Trade licence.                                                            | ..... |
| 6. Nature of manufacturing activities at present.                                                                                                                | ..... |
| 7. The type of weights and measures proposed to be manufactured viz :                                                                                            | ..... |
| (i) Weights                                                                                                                                                      |       |
| (ii) Measures                                                                                                                                                    |       |
| (iii) Weighing Instruments                                                                                                                                       |       |
| (iv) Measuring Instruments with details in each case.                                                                                                            |       |
| 8. The number of persons employed/proposed to be employed                                                                                                        | ..... |
| (i) Skilled                                                                                                                                                      |       |
| (ii) Semi-skilled                                                                                                                                                |       |

- (iii) Unskilled
- (iv) Specialist trained in the line
9. The monogram or trade mark intended to be imprinted on weights and measures to be manufactured. ....
10. Details of machinery, tools accessories, owned and used for manufacturing weights measures etc. ....
11. Details of foundry/workshop facilities arranged. ....  
Whether ownership, long term lease etc.
12. Facilities of steel casting and hardness testing of Vital parts etc or other means. ....
13. Availability of electric energy. ....
14. Details of loan received from Government or financial Institution. If so, give details. ....
15. Name of bankers, if any. ....
16. GST Number/Professional Tax registration Number/IT Number .....
17. Have you applied previously for a manufacturer's Registration Certificate? If so, when and with what results? .....
18. (a) Whether the item (s) proposed to be manufactured will be sold within the State or out side the state or both. ....
- (b) Details of Model Approval received from Government of India;

**To be certified by the applicant (s)**

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled Registration Certificate fee with Government as soon as required to do so by the Registration Certificate Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place : .....

Date : Signature and Designation

**To be filled in by Departmental Officer of the Government of National Capital Territory of Delhi**

Date of Receipt of Application:

Serial Number of application:

Remarks:

Place: .....

Date Signature and Designation of LMO/ZO

**Final Orders of Registration Certificate Authority**

Registration Certificate granted / refused:

Registration Certificate Number:

Place:

Date:

Signature and Designation

**SCHEDULE – II-A**

[See rule 11 (1)]

Form LR – 1

[Application for Registration Certificate as Repairer of Weights &amp; Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

| To be filled by the applicants                                                                                                                                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2     |
| 1. Name of the concern seeking the Registration Certificate.                                                                                                      | ..... |
| 2. Complete address of the workshop.                                                                                                                              | ..... |
| 3. (a) Whether premises are owned/rented/taken. on lease dully supported by documents.                                                                            | ..... |
| (b) Date of establishment.                                                                                                                                        | ..... |
| 4. Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company. | ..... |
| 5. Number and date of shop/establishment/current Municipal Trade Licence.                                                                                         | ..... |
| 6. GST/Professional Tax/IT Tax registration Number etc if any.....                                                                                                | ..... |
| 7. The type of weights and measures proposed to repaired.                                                                                                         | ..... |
| 8. Area in which you wish to operate.                                                                                                                             | ..... |
| 9. Previous experience in the line.                                                                                                                               | ..... |
| 10. Number of skilled staff employed or proposed to be employed:                                                                                                  | ..... |
| (i) Skilled                                                                                                                                                       | ..... |
| (ii) Semi-skilled                                                                                                                                                 | ..... |
| (iii) Unskilled                                                                                                                                                   | ..... |
| (iv) Employees trained in the line                                                                                                                                | ..... |
| 11. Details of machinery/tools/accessories available.                                                                                                             | ..... |
| 12. Availability of electric energy.                                                                                                                              | ..... |
| 13. Have you sufficient stock of loan/test weights. etc.? Give details.                                                                                           | ..... |
| 14. Have you applied previously for a repairer's registration certificate? If so, When and with what results? .....                                               | ..... |

**To be certified by the applicant(s)**

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled Registration Certificate fees with Government as soon as required to do so by the Registration Certificate Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place: .....

Date: Signature and Designation

**To be filled in by Departmental Officer of the Government of National Capital Territory of Delhi**

Date of Receipt of Application:

Serial Number of Application:

Remarks:

Place: .....

Date: Signature and Designation of LMO/ZO

**Final Orders of Registration Certificate Authority**

Registration certificate granted/refused:

Registration certificate Number:

Place:

Date:

Signature and Designation

**SCHEDULE – II–A**

[See rule 11 (1)]

**Form LD-1****[Application Form for Registration Certificate as Dealers in Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]**

To,

To be filled by  
the applicant

(1)

(2)

1. Name of the establishment/shop/person seeking the registration certificate. ....
2. Complete address of the establishment etc. ....
3. Date of establishment. ....
4. Name (s) and address (s) of proprietors and / or partners and Managing Director (s) in the case of Limited company. ....
5. Number and date of Registration Number of current shop/establishment/Municipal Trade licence. ....
6. Categories of weights and measures sold/proposed to be sold at present. ....
7. Registration Number of GST/ Professional Tax/Income Tax .....
8. Do you intend to import weights, etc. from places outside the State/Country ? If so indicate sources of supply. (Give details of manufacturer's trade mark/ monogram and his registration certificate number) and provide  
(a) Registration of Importer of Weights and Measures, if any  
(b) Approval of model imported into India by Central Government.
9. Have you applied previously for a dealer's registration certificate, either in this State or elsewhere ? If so give details? .....

**To be certified by the applicant(s)**

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled Registration Certificate fees with Government as soon as required to do so by the Registration Certificate Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place:

Date:

.....  
Signature and Designation



**To be filled in by Departmental Officer of the Government of National Capital Territory of Delhi**

Date of Receipt of Application:

Serial Number of Application:

Remarks:

Place:

Date:

Signature and Designation of LMO/ZO

**Final orders of Registration Certificate Authority**

Registration certificate granted/refused:

Registration certificate Number:

Place:

Date:

Signature and Designation

**SCHEDULE—III**

[See rule 11 (3)]

**Registration Certificate Forms****FORM LM-3****Government of National Capital Territory of Delhi****OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY**

(Registration Certificate to Manufacture, weights, measures, weighing or measuring instruments)

Registration Certificate No.....

Year .....

1- The Controller of Legal metrology hereby registers to .....

(Name and address of party or parties) to manufacture the following:-

.....

(Include details of the weights, measures, weighing instruments or measuring instruments that are registered to be manufactured by the party).

2- The registration certificate is valid for the party named above in respect of his workshop located at .....

3- The manufacturer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any of these, his registration certificate is liable to be cancelled.

4- The trade mark monogram being used by the manufacturer is as under.

.....

(Signature)

Controller of legal Metrology

(Seal)

**Government of National Capital Territory of Delhi**

Date .....

Place .....

Note: In the case of firm, its name with the names of all names of all persons having interest in the business should be given in paragraph 1

### CONDITIONS OF REGISTRATION CERTIFICATE

1. The person in whose favour this registration certificate is issued shall. -
  - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
  - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules amended from time to time;
  - (c) Exhibit this registration certificate in some conspicuous part of the premises to which it relates;
  - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
  - (e) Surrender the registration certificate in the event of closure of business and/ or cancellation of registration certificate;
  - (f) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be manufactured and meant for use within the State, to the legal metrology officer for verification and stamping before sale;
2. Every condition prescribed after the issue of this registration certificate shall if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the registration certificate has been granted.

### SCHEDULE— III

[See rule 11 (3)]

#### Registration Certificate Forms

#### FORM LR-3

### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY

(REGISTRATION CERTIFICATE TO REPAIR WEIGHTS, MEASURES, WEIGHING INSTRUMENTS OR  
MEASURING INSTRUMENTS)

Registration Certificate No .....

Year .....

- 1- The Controller of legal metrology hereby registers to ..... (Name and address of Party or Parties) to repair the following:-  
(Include details of the types of weights, measures, weighing instruments or measuring instruments that are registered to be repaired by the party)
- 2- The registration certificate is valid for the party named above in respect of his workshop located at .....
- 3- The repairer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one, his registration certificate is liable to be cancelled.
- 4- The party is registered to repair weights, measures, weighting and measuring instruments in the areas mentioned below –

(Signature)

Controller of Legal Metrology

(Seal)

Government of National Capital Territory of Delhi

Date.....

Place.....

Note: In the case of firm, its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

### Conditions of Registration Certificate

1. The person in whose favour this Registration Certificate is issued shall. -
  - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
  - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules for the time being in force;
  - (c) Exhibit this Registration Certificate in some conspicuous part of the premises to which it relates;
  - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
  - (e) Surrender the Registration Certificate in the event of closure of business and/or cancellation of Registration Certificate;
  - (f) (i) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be duly repaired to the legal metrology officer for under taking verification and stamping as specified in rule 14(1), before delivery to the user.  
 (ii) In the case of weights, measures weighing or measuring instruments, if they are serviced/repaired before the date on which the verification falls due and where, in the process and the verification stamp of the legal metrology officer is defaced, removed or broken, they shall be presented duly repaired to the legal metrology officer for re-verification and stamping before delivery to the user.
2. Every condition prescribed after the issue of this Registration Certificate shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the Registration Certificate has been granted."

### SCHEDULE— III

[See rule 11 (3)]

### Registration Certificate Form

#### FORM – LD- 3

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### Office of the Controller of legal metrology

**(Registration Certificate to a dealer in weights, measures, weighing instruments or measuring instruments)**

Registration Certificate No. ....

Year .....

- 1- The Controller of legal metrology hereby registers to .....  
 (Name and address of party or parties) to deal in the following (Indicate details of the types weights and measures, weights, or measuring instruments that are registered to be dealt with by party)
- 2- The Registration Certificate is valid for the party named above in respect of his premises located at .....
- 3- The dealer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one of those his Registration Certificate is liable to be cancelled.

(Seal)

(Signature)

Controller of Legal Metrology

Government of National Capital Territory of Delhi

Date.....

Place.....

Note: In the case of firm its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

### CONDITIONS OF REGISTRATION CERTIFICATE

1. The person in whose favour this Registration Certificate is issued shall. -
  - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
  - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules for the time being in force;
  - (c) Exhibit this Registration Certificate in some conspicuous part of the premises to which it relates;
  - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
  - (e) Surrender the Registration Certificate in the event of closure of business and/or cancellation of Registration Certificate;
  - (f) Not sell or offer, expose or possess for sale any non-standard weight or measure.
2. Every condition prescribed after the issue of this Registration Certificate shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the Registration Certificate has been granted.

### SCHEDULE – IV

[See rule – 11 (4) & (5)]

### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### Office of Controller of Legal Metrology

(Registration Certificate fees for manufacturers, repairers of dealers of weights and measures)

1. Issue of Registration Certificate:
  - (i) Manufacturers Rs. 5000/- (Five thousand rupees)
  - (ii) Repairers Rs. 2000/- (Two thousand rupees)
  - (iii) Dealers Rs. 2000/- (Two thousand rupees)
2. Alteration of Registration Certificate: Rs. 1000/- (One thousand rupees)
3. Issue of duplicate Registration Certificate: Rs. 500/- (Five hundred rupees)

### SCHEDULE–V

[See rule 11 (6)]

### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### Office of Controller of Legal Metrology

Register of Registered Manufacturers/ Repairers/ Dealers of weights, measures, weighing / measuring instruments

Office of .....

| Registration<br>Certificate<br><br>Num<br>ber | Date<br><br>of<br><br>issue | Name<br><br>and<br><br>complet<br><br>e<br><br>address<br><br>of the<br><br>manufac<br>turer<br><br>/repairer<br><br>/ dealer | Place<br><br>where<br><br>works<br><br>hop/<br><br>factor<br><br>y is<br><br>situate<br><br>d | Articles<br><br>to be<br><br>manufac<br>tured/<br><br>repaired/<br><br>sold | Trade<br><br>mark/<br><br>monog<br>ram<br><br>being<br><br>used | Orders<br><br>regardi<br><br>ng<br><br>cancell<br><br>ation of<br><br>Registration<br>Certificate | Res<br><br>ult<br><br>of<br><br>app<br>eal | Signat<br><br>ure of<br><br>compe<br>tent<br><br>authori<br>ty | Re<br><br>m<br><br>Ar<br>k |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                             | 2                           | 3                                                                                                                             | 4                                                                                             | 5                                                                           | 6                                                               | 7                                                                                                 | 8                                          | 9                                                              | 10                         |

Note: Column (4) does not apply to dealers; column (6) does not apply to repairers and dealers.

#### SCHEDULE —VI

[See rule 11(8)]

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

##### Office of Controller of Legal Metrology

Security deposit to be made by Registered Repairer:

Repairer of weights and measures including weighing

and measuring instruments. Rs. 5000.00 (Five Thousand rupees)

#### SCHEDULE —VII

[See rule 13]

Register to be maintained by the Manufacturers of weights and measurers.

- 1- Name and address of the manufacturer .....
- 2- Description of the weight or measure .....
- 3- (i) No. of the manufacturing Registration Certificate .....  
(ii) Date on which the Registration Certificate was issued .....
- 4- Particulars of order, if any, suspending or revoking .....  
the Registration Certificate.

| S.No. | Month | Unsold stock from previous month | Quantity manufactured during the month | Total 3+4 | Sold within the state |                               |
|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
|       |       |                                  |                                        |           | No. of item sold      | Dispatch voucher no. and date |
| 1     | 2     | 3                                | 4                                      | 5         | 6                     | 7                             |
|       |       |                                  |                                        |           |                       |                               |

| Sold outside the state |                   | Dispatch voucher no. and date | Total sold (6+9) | Balance (5-11) | Remarks |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------|
| Name of the state      | No. of items sold |                               |                  |                |         |
| 8                      | 9                 | 10                            | 11               | 12             | 13      |
|                        |                   |                               |                  |                |         |

**Schedule – VII**

[See rule 13]

Form LR-4

Register to be maintained by the Repairer in respect of weights and Measures

Name and address of the repairer .....

Registration Certificate No.....

Date of Registration .....

| S. No. | Date | Name of the user from whom received | Items and their Nos. booked for repair | Receipt No. and date of issue to the user |
|--------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | 2    | 3                                   | 4                                      | 5                                         |
|        |      |                                     |                                        |                                           |

| Amount of repairing charges | Amount of verification fee | Total amount charged | Date of return to the user | Remarks |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| 6                           | 7                          | 8                    | 9                          | 10      |
|                             |                            |                      |                            |         |

**Schedule – VII****[See rule 13]****LD-4****Register to be maintained by dealer in weights and measures**

- 1- Name and address of the dealer .....
- 2- Description of the weight or measure .....
- 3- (i) Dealer Registration Certificate No. ....  
(ii) Date on which the Registration Certificate was issued .....
- 4- Particulars of order, if any suspending or Registration Certificate.  
.....
- 5- Category of weight or measure .....  
(Category A or B)

| Sr. No. | Month | Unsold stock from the previous month | Brought from within the state during the month | Brought from outside the state during the month | Total (3+4+5) |
|---------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1       | 2     | 3                                    | 4                                              | 5                                               | 6             |
|         |       |                                      |                                                |                                                 |               |

| Sold within the state |                               | Sold outside the state |                               |                   | Total sold (7+9) | Balance (6-12) | Remarks |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|
| No. of items sold     | Dispatch voucher no. and date | No. of items sold      | Dispatch voucher No. and date | Name of the state |                  |                |         |
| 7                     | 8                             | 9                      | 10                            | 11                | 12               | 13             | 14      |
|                       |                               |                        |                               |                   |                  |                |         |